

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 762

जिसका उत्तर 26 जून, 2019 को दिया जाना है

भूमिगत कोयला गैसीकरण

762. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में विकसित भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए अब तक चिन्हित किए गए कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : भारतीय भू-वैज्ञानिक स्थितियों के तहत अभी तक भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूजीसी) प्रौद्योगिकी की कोई वाणिज्यिक या पायलट परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) : भारत में यूजीसी विकास के प्रयोजनार्थ अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमएस) द्वारा कुल 14 ब्लॉक (7 कोयला तथा 7 लिग्नाइट) अनुमोदित किए गए हैं।

ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

यूजीसी ब्लॉकों का ब्यौरा		
	ब्लॉक का नाम	कोयला / लिग्नाइट क्षेत्र / राज्य
कोयला ब्लॉक		
1	येलान्डू (डिप साईड)	खम्मम, आंध्र प्रदेश
2	बंधा	सिंगरौली, मध्य प्रदेश
3	मायकी नार्थ-मायकी - मरखी	सोहागपुर, मध्य प्रदेश
4	पथौरा	सोहागपुर, मध्य प्रदेश
5	रियोती वेस्ट	तातापानी-रामकोला, छत्तीसगढ़

6	चैंपा	सोहागपुर , मध्य प्रदेश
7	जोगापुर सिरसी	वर्धा घाटी, महाराष्ट्र
लिग्नाइट ब्लॉक		
1	रनेरी	बीकानेर, राजस्थान
2	ताड़केश्वर- डूंगरा	सूरत, गुजरात
3	वालिया और राजपरदी की डिप साइड	भरुच, गुजरात
4	सिंधारी वेस्ट	बाड़मेर , राजस्थान
5	चोकला नार्थ	बाड़मेर , राजस्थान
6	निम्बालकोट	बाड़मेर , राजस्थान
7	नागुरदा	बाड़मेर , राजस्थान

(ग) : भारत में यूसीजी विकसित करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. सरकार ने जुलाई, 2007 में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी जिसमें राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 के प्रयोजन हेतु अन्त्य उपयोग के रूप में यूसीजी पर विचार किया गया था।
2. सरकार ने 16 दिसम्बर, 2015 को भारत में कोयला तथा लिग्नाइट धारक क्षेत्रों में यूसीजी के विकास हेतु एक नीतिगत ढांचे का अनुमोदन किया है।
